रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 707] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 4, 1990/अग्रहायण 13, 1912
No. 707] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 4, 1990/AGRAHAYANA 13, 1912

इस भाग को भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1990

सं. 77/90 (नै.टै.) सीमाशुल्क

का.आ. 932(अ) :—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयातित माल को उतारने और निर्यात किए जाने वाले माल के लदान के लिए गुजरात राज्य में गोधा स्थित पत्तन को सीमाशुल्क पत्तन के रूप में निर्धारित करती है ।

[फा. सं. 574/90-भू.सी.शु. II]
श्रीमती अनिता सूरी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 1990

NO. 77/90 (NT)-CUSTOMS

S.O. 932(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby appoints the port at Gogha in the State of Gujarat as a Customs port for the unloading of imported goods and the loading of export goods.

[F. No. 574/4/90-L. C. II]

MRS AMEETA SURI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990